

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
राजस्थान, जयपुर

एफ 19 (1) (4) / निमअ / मविका / सा.कार्य प्रशि / 2009 / 17909
कार्यालय आदेश

जयपुर, दिनांक 9.6.14


महिला विकास कार्यक्रम अन्तर्गत जिन साथिनों को पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण प्राप्त किये दो वर्ष या अधिक समय हो गया हो उन साथिनों का 03 दिवसीय पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण हेतु पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ 19(1)(196)निमअ/46680-712 दिनांक 23.10.2012 में संशोधित करते हुये निम्न प्रकार से वित्तीय मानदंड/दरे निर्धारित की जाती है। उक्त तीन दिवसीय पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण संशोधित मापदण्डों/दरों के अनुसार निश्चित समय पर संपादित करना सुनिश्चित करें।

साथिन 03 दिवसीय पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण- (बैंच संख्या 30 साथिन एवं 05 अन्य व्यक्ति)

क्र.सं.	मद	कुल व्यय राशि (रूपयों में)
1	2	4
1.	साथिनों की भोजन व्यवस्था (नाश्ता, दो बार भोजन, दो चाय प्रति प्रशिक्षणार्थी) (140×3×35)	14,700.00
2.	प्रशिक्षकों/प्रशिक्षणार्थियों को आने जाने का वास्तविक किराया (150×35)	5,250.00
3.	संदर्भ व्यक्ति (प्रतिदिन एक) (500×3)	1,500.00
4.	प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय (40×35)	1,400.00
5.	आकस्मिक व्यय(रिपोर्ट लेखन एवं फोटोग्राफी इत्यादि)	1,500.00
6.	दो प्रशिक्षको के लिए मानदेय (500×2×3)	3,000.00
7.	आवास एवं प्रशिक्षण स्थल व्यवस्था का किराया (अ)(प्रति दिन 1500/-रूपये) (1500×3)	4,500.00
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-दो (प्रति दिन 150/-रूपये) (150×3)	450.00
9.	स्वीपर-एक दर (75×3)	225.00
10.	चिकित्सक की जांच एक मुश्त (एक बार)	500.00
	कुल योग	33,025.00

2014

उपरोक्त दरों के अनुसार प्रस्तावित व्यय राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे। साथिन पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण हेतु इससे पूर्व में जारी किये दरों/मापदण्डों के आदेशों के अतिक्रमण में ये आदेश जारी किये जाते हैं तथा ये आदेश जारी होने वाली तिथि से लागू होंगे।



(राजेश यादव)
निदेशक

17910-18013 महिला अधिकारिता

एफ 19 (1) (4) / निमअ / मविका / सा.कार्य प्रशि / 2009 /
जयपुर, दिनांक 9-6-14

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
3. मुख्य लेखाधिकारी, महिला अधिकारिता, महिला अधिकारिता।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
5. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
6. कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता, समस्त।
- ✓ 7. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता